लेखाओं का वार्षिक विवरण
2016-17

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) लखनऊ

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Audit (Central) Lucknow

संख्याः पीडीएसी / लकेओ / डीएसएआर–भाप्रसंराँ / 2016–17 / 02 दिनांकः 05 .04.2018

सेवा में,

निदेशक,
भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची
सूचना भवन, ऑड्रे हाउस परिसर
मेयर्स रोड रांची–834008

विषयः भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के वर्ष 2016–17 के खातों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र।

महाशय,

मैं वर्ष 2016–17 के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान रांची (भ.प्र.सं.राँ) की लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के साथ परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा के प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न कर रहा हूँ।

2. दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।

3. इन लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, परीक्षा प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखे जाने से पूर्व इस पर भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के शासी निकाय द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत विचार कर अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाना चाहिए।

4 .(i) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा समेत लेखा परीक्षा प्रमाण एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अपनाने संबंधी शासी निकाय के संकल्प (ii) इसे संसद मे प्रस्तुत किये जाने की तिथि तथा (iii) संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति यथासमय हमारे अभिलेख एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को आगे प्रेषण के लिए भेजी जाय।

5. हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी अनुवाद का अवलोकन किया जाय।

6. कृपया संलग्नको के साथ इस पत्र की पावती भेजी जाये।

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त।

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय)

तृतीय तल, आडिट भवन, टी0सी0–35–V/1, विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ–226010 (उ0प्र0) दूरभाषः 0522–2970789, फैक्स 0522–2970780
3rd Floor, Audit Bhawan, T.C.-35-V/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Ph. : 0522-2970789, Fax : 0522-2970780

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के वर्ष 31 मार्च 2017 के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने भारतीय प्रबंध संस्थानए रांची (भ.प्र.सं.राँ) के 31 मार्च 2017 तक के तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का लेखा परीक्षा (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य,शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुभाग 20 (1) के अन्तर्गत कर ली है। यह लेखा परीक्षा 2019–20 तक की अवधि के लिये सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरणियाँ प्रबन्ध संस्थान की उतरदायित्व है। हमारा उतरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोतम लेखा प्रचलन पद्वति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। वित्तीय लेन देन पर विधि, नियमों एवं विनिमयों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता सह निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ, यदि कोई हैं, निरीक्षण प्रतिवेदनों/भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा की हैं। इन मानकों में अपेक्षित, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा का निष्पादन समुचित आश्वासन प्राप्त करने के बाद किया ताकि यह वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त हो । लेखा परीक्षा में नमुना जाँच आधारित परीक्षण रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणो में प्रकटन शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किए गये लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्क्लनों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित हैं। हमारा विश्वास हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया कराती हैं।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

(i) हमनें वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्येश्य के लिये आवश्यक थें।

(ii) तुलन–पत्र, आय–व्यय लेखा, और प्राप्ति एंव भुगतान लेखा जिन्हें इस प्रतिवेदन में लिया गया है उन्हें वित मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) जैसा कि हमारे द्वारा बहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची द्वारा समितियों का निबंधन अधिनियम 1860 तथा संस्थान के नियम 18 के अंर्तगत संगठनों के ज्ञापन के खण्ड 3 के अधीन आवश्यक लेखा वहिया एवं अन्य सम्बधित दस्तावेज संस्थान द्वारा उचित अवस्था में रखे गये है।

(iv) हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि :–

अ. तुलन पत्र

अ.1 देनदारियों

अ.1.1.कोष निधि (अनुसूची–2) रू117.04करोड़

अ.1.1.1 संस्थान ने कोषनिधि (कॉर्पस फंड) का सृजन किया जो कि केन्द्र सरकार के स्वीकृति हेतु लंबित है। यद्यपि इस अनिमियताओं के लिए पूर्व के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, परन्तु संस्थान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाहि नही की गई।

अ.1.1.2 संस्थान ट्रांसफर रू 730.50 लाख के लिए कार्पस को अपने वास्तविक अधिशेष से उपर एम.एच.आर.डी. से रिसीवलव को डेबिट दिया गया था। संस्थान प्रत्येक वर्ष वास्तविक अधिशेष से "कार्पस" को डेबिट करता रहा जो एम.एच.आर.डी. से मंजूरी के बिना एम.एच.आर.डी. से "रिसीवलब शीर्ष" में स्थानांतरित कर दिया गया। 31.03.2017 को संस्थान ने एम.एच.आर.डी. से प्राप्त प्राप्तियों के रूप मे रू 2954.80 लाख, दिखाया हालांकि अनुदान पत्रों के अनुसार प्राप्ति के लिए कोई अनुदान लंबित नहीं था। अनियमिता के परिणामस्वरूप कॉर्पस और वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम के रूप में रू 2954.80 लाख से अतियोक्ति हुई।

अ.1.2. मौजूदा देनदारियों एवं प्रावधान (अनुसूची–3) रू 327.69 लाख

अ.1.2.1.संस्थान के पास 1.4.2016 को अप्रयुक्त शेष राशि गैर–आर्वति में रू 2301.11 लाख था।और वर्ष 2016–17 के दौरान गैर–आर्वति में रू 1300.00 लाख का अनुदान प्राप्त किया। इसमे से मात्र रू 239.65 लाख वर्ष के दौरान खर्च किया और अप्रयुक्त शेष रू 3361.68 लाख शेष रहा। जैसा कि संस्थान ने इस दायित्व को शीर्ष"**अनुदान मंत्रालय को वापसि**" में नही दिखाया था, इस प्रकार दायित्वों का न्युनोक्ति एवं गैर आर्वति का रू 3361.68 लाख से अतियोक्ति हुई ।

अ.1.2.2. झारखण्ड राज्य सहकारी विकास लिमिटेड (जेएसटीडीसी) लिमिटेड और आई.आई.एम, राँची के बीच समझौता दिनांक 26.07.2013 ज्ञापन (एमओयू) किया गया था। जो झारखण्ड राज्य के आदिवासी उप–योजना के व्यापक अध्ययन आकलन के लिए था।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, रूपये 91.80 लाख का भुगतान 4 किश्तों – 30 प्रतिशत अग्रिम, 30 प्रतिशत उत्तराद्ध बेंच मार्किंग रिपोर्ट, 20 फीसदी एक्शन पॉलन और बाकी 20 फीसदी प्रशिक्षण और कार्यशाला के बाद भुगतान प्राप्त किया जाना था।

एमओयू के अनुसार, जेएसटीडीसीसी लि ने रूपये 27.54 लाख संस्थान को अग्रिम भुगतान किया। संस्थान ने 31.03.2014 तक रूपये 15.35 लाखरूपये व्यय किया। संस्थान को 31.03.17 को दाचित्व के रूप में रू 12.19 लाख रूपये को दिखाना था। हालांकि, रूपये 76.54 लाख की देयता को विभिन्न देनदारों को डेबिट द्वारा रूपये 64.26 लाख दिखाया गया। इसे प्रकार, संपत्ति और देयता को रूपये 64.26 लाख से अतियोक्ति हुई।

ज्ञापन के अनुसार, रूपये 91.80 लाख का भुगतान 4 किश्तों– 30 प्रतिशत अग्रिम, 30 प्रतिशत उत्तराद्ध बेंच मार्किंग रिपोर्ट, 20 फीसदी एक्शन पॉलन और बाकी 20 फीसदी प्रशिक्षण और कार्यशाला के बाद भुगतान प्राप्त किया जाना था।

एमओयू के अनुसार, जेएसटीडीसीसी लि ने रूपये 27.54 लाख संस्थान को अग्रिम भुगतान किया। संस्थान ने 31.03.2014 तक रूपये 15.35 लाख रूपये व्यय किया। संस्थान को 31.13.17 को लियबिलिटी के रूप में रू 12.19 लाख रूपये का दिखाना था। हालांकि, रूपये 76.54 लाख की देयता को विभिन्न देनदारों को डेबिट द्वारा रूपये 64.26 लाख दिखाया गया। इस प्रकार, संपत्ति और देयता को रूपये 64.26 लाख से अतियोक्ति हुई।

अ.1.2.3.

संस्थान ने सुरक्षा जमा राशि मार्च 2017 तक रूपये 21.5 लाख रूपये प्राप्त किया। सुरक्षा जमा को दायित्व मद में दिखाने के बजाय राशि को आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में रूपये 21.55 लाख दिखाया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों की न्योनिक्त और आय की अतियुक्ति रूपये 21.55 लाख से हुई।

अ.2 सम्पत्तियाँ

अ.2.1 अचल सम्पत्तियाँ (अनुसूची–4) रू1220.14 लाख

अ.2.1.1 एमएचआरडी द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार ई. पत्रिकाएं अमूर्त संपत्ति हैं जो 40 प्रतिशत की दर से अवमूल्यन की जाती हैं। संस्थान ने हालांकि ई. पत्रिकाओं और ई किताबें

खरीदीं जो कि वर्ष के दौरान रूपये 156.51 लाख और अवमूल्यन के रूप में रूपये 62.60 लाख बुकिंग के बजाय आय और व्यय खाते में राशि को डेबिट किया। अनियमित उपचार के परिणामस्वरूप व्यय और अमूर्त आस्तियों को रूपये 93.91 लाख आय से अधिक की कमी को दिखा दिया गया।

अ.2.2 विनियोजन(अनुसूची–5) रू 10170.52 लाख

अ.2.2.1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान का बैंक में सावधिक जमा/समयावधि जमा में विनियोजन हेतू दिये गये लेखा प्रारूप के अनुसार चालू सम्पत्ति के अंर्तगत इडोलमेन्ट फंड/इयर मार्क फंड को छोड कर दिखाया जाना चाहिए था।

संस्थान ने अधिशेष कोष रू 10170.52 लाख को विभिन्न बैंको में फिक्स डिपोजिट किया। इस राशि को चालू सम्पत्ति के अंर्तगत दिखाने के वजाय विनियोजन मद के अंर्तगत दिखाया है । फलस्वरूप रू 10170.52 लाख़ से विनियोजन की अतियोक्ति तथा चालू सम्पत्ति का न्युनोक्ति हुई।

अ.2.3 मौजूदा संपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची–6) रू 5241.22 लाख

अ.2.3.1 संस्थान ने लेनदारों की रकम को देन दारियों से घटाकर देनदारों की रकम कम कर दिखाया है। 31.03.2017 को संस्थान के पास रूपये 7.61 लाख की देनदारी थी आईआईएम रोहतक को जो कि देनदारों को श्रेय दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप मौजुदा परिसम्पतियों और वर्तमान देनदारियों को रूपये 7.61 लाख से न्युनाक्ति हुई।

अ.2.3.2. एचडीएफसी बैंक ने 03.05.2017.के अपने प्रतिवेदन मे अर्जित ब्याज रूपये 36.17 लाख 31.03.2017 को दिखाया है जिसे खाते मे नहीं दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों को अर्जित बयाज और आंतरिक आय के तहत रूपये 36.17 लाख का न्यूनोक्ति हुई।

अ.2.3.3. संस्थान ने सॉफ्टवेयर वन इंडिया प्राइवेट लि. से 10.03.2017 को रूपये 24.10 लाख में 12 माह के लिए आईबीएम के सॉफ्टवेयर खरीदे हैं। जैसा कि लाइसेंस अवधि मार्च 2017 से मार्च 2018 तक बारह माह के लिए रूपये 22.09 लाख प्री प्रीपेड खर्चे के तहत बुक किया जाना था। संस्थान ने आय और व्यय खाते पर पूरी राशि बुक किया जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व व्यय और आय की रूपये 22.09 लाख से न्युनोक्ति हुई है।

ब. प्राप्ति एवं भुगतान खाता

ब.1 31.03.2016 को निर्धारित जमा पर अर्जित आय रूपये 150.61 लाख था। वर्ष के दौरान फिक्स्ड डिपॉजिट से आय रूपये 617.53 लाख थी। इस प्रकार वर्ष के दौरान ब्याज आय 466.92 लाख रूपये थी। संस्थान ने आय और व्यय खाते में अर्जित ब्याज को नहीं दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप अर्जित ब्याज आय और व्यय खाते पर रूपये 150.61 लाख से अतियेक्ति हुई।

स. खातों पर लेखांकन नीतियां और नोट्स

संस्थान ने न तों सेवानिवृत्त लाभ के लिए प्रावधान किया है और न ही ग्रैच्युइटी और छुट्टी नकदीकरण विवरूरय मूल्यांकन पर मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के कार्यक्रम में कोई खुलासा नहीं किया है।

द. सहायता अनुदान

संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रू 2700.00 लाख (आवर्ती अनुदान रू० 1400.00 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रू० 1300.00 लाख) अनुदान प्राप्त किया और संस्थान द्वारा उत्पन्न आंतरिक आय रू० 3184.82 लाख था । विगत वर्ष का अप्रयुक्त अनुदान रू० 7438.45 लाख (आवर्ती अनुदान रू० 5137.12 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रू० 2301.33 लाख) इस प्रकार संस्थान के पास कुल अनुदान एवं अन्य आंतरिक आय रू० 13323.27 लाख (आवर्ती अनुदान रू० 9721.94 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रू० 3601.33 लाख) उपयोग के लिए उपलब्ध थे। जिसमें से संस्थान ने रू० 2611.51 लाख (आवर्ती अनुदान रू० 2371.85 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रू० 239.66 लाख) का उपयोग किया एवं शेष राशि रू 10711.76 लाख (आवर्ती अनुदान रू० 4165.27 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रू० 3361.67लाख) 31 मार्च 2017 को अनुपयोग राशि के रूप में था।

<u>प्रबंधन पत्र</u>

जो त्रुटियाँ इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गयी हैं, उनकी जानकारी संस्थान को प्रबंधन पत्र के द्वारा दे दी गयी है, जो अलग से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए निर्गत की गयी है।

(v) पूर्ववर्ती कंडिकाओं में दिए गये अवलोकनो के मद्देनजर हमारे प्रतिवेदन के अनुसार तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा, जिसका निपटारा इस प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है, लेखा बही के अनुरूप है।

(vi) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराए गये जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा विधि की नीतियों, लेखा पर टिप्पणियों तथा उपर वर्णित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा इस लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक में उल्लिखित बातों के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा विधि के सिद्वांतों की अनुरूपता में सच्ची एवं निष्पक्ष मत उपलब्ध करातें हैं।

क) यह भारतीय प्रबन्ध संस्थान, राँची 31 मार्च 2017 से संबंधित तुलन पत्र की परिस्थिति से संबंधित है और

ख) यह उक्त तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष में आय एवं व्यय खाता के अधिशेष से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 5.4.18

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ

लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

इस संस्थान को अपने आंतरिक लेखा परीक्षा का स्कंध नहीं है बल्कि संस्थान का आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से द्वारा की गई है। संस्थान को अपना ऑडिट मैन्युअल भी बनाना है।

2. आंतरिक नियन्त्रण प्रणानी की पर्याप्तता

आंतिरक नियन्त्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं

- संस्थान के पास एकाउंटिग मेनुअल एवं कार्यालय प्रक्रिया प्रणाली नही है।
- विनियोजन पॉलिसि का कोई सुत्रिकरण नही है । सस्थान ने निवेश निति को मंत्रालय द्वारा दिये गये र्निदेशो का अनुपालन नही किया गया है जिसका उद्देश्य संस्था का आय उपार्जन है।
- रोकड़ बही को नियमानुसार प्रतिदिन बंद नही किया जाता है।
- दायित्व पंजी को संधारित नही किया गया है।
- निवेश पंजी का संधारण नही किया गया है।
- फाईल/रिकॉड को अनुचित तरीके से रखा गया है, किसी प्रकार का सूची एवं पृष्ठांकण नही किया गया है।

3. अचल सम्पत्ति और वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

संस्थान के द्वारा अचल संम्पत्ति और वस्तुसूची वर्ष के लिए का भौतिक सत्यापन किया गया है।

4. वैधानिक देय के भुगतान में नियमितता

समय पर आयकर का भुगतान न होने के कारण संस्थान ने टीडीएस पर रूपये 2.90 लाख ब्याज का भुगतान 2016–17 के दौरान आयकर विभाग को किया था। इससे संकेत मिलता है कि संस्थान वैधानिक देय राशि का भुगतान नियमित रूप से नहीं होता है।

तुलन पत्र
31 मार्च 2017 को

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र

(राशि रू. में)

विवरण	अनुसूचि	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
पूंजी निधि	1	444,924,129.47	323,180,454.47
कॉर्पस निधि	2	1,170,420,873.50	876,192,731.11
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	3	32,768,513.48	54,397,256.58
कुल		**1,648,113,516.45**	**1,253,770,442.16**
संपत्तियां			
अचल संपत्तियां			
कुल संपत्तियां	4	122,013,554.13	117,198,606.13
घटाओ : संचित मूल्यह्रास		50,163,370.53	41,907,045.53
शुद्ध कुल संपत्तियां		71,850,183.60	75,291,560.60
प्रगतिरत पूंजीकार्य	4	35,088,802.00	16,125,165.00
कुल		**106,938,985.60**	**91,416,725.60**
निधि का निवेश	5	1,017,052,394.90	635,897,465.00
वर्तमान पूंजी, ऋण और अग्रिम	6	524,122,135.95	526,456,251.56
कुल		**1,648,113,516.45**	**1,253,770,442.16**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां – अनुसूची – 15
लेखांकन के भाग स्वरूप टिप्पणियां – अनुसूची – 16
प्राप्ति और भुगतान खाता – अनुसूवी – 17

हमारी समान तिथि की संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबद्ध

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

स्थान : रांची
दिनाँक : 26.07.2017

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

(राशि रू. में)

विवरण	अनुसूचि	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
आय			
शुल्क और लंबी अवधि के कार्यक्रम से अन्य आय	7	221,541,921.13	188,683,518.82
सरकारी अनुदान	8	140,000,000.00	80,120,000.00
ब्याज से आय	9	73,686,949.42	64,502,155.93
गैर–अनुदान और अन्य प्राप्तियां	10	23,253,049.25	20,783,214.00
कुल (क)		**458,481,919.80**	**354,088,888.75**
व्यय			
स्थापना व्यय	11	49,611,336.00	41,788,823.00
शैक्षिक व्यय	12	83,363,711.19	74,686,068.60
अन्य प्रशासनिक व्यय	13	79,955,993.06	78,009,813.35
मूल्यह्रास	4	8,256,325.00	7,736,370.00
गैर–अनुदान व्यय	14	24,253,777.41	21,612,778.00
कुल (ख)		**245,441,142.66**	**223,833,852.95**
व्यय पर आय की अधिकता (क–ख)		213,040,777.14	130,255,035.80
पूंजी निधि से स्थानांतरण		8,256,325.00	7,736,370.00
घटाएं :: वर्ष के दौरान समायोजित मूल्यह्रास संपत्तियां		119,436.00	12,114,688.57
शेष		221,177,666.14	150,106,094.37
कोर्पस फंड में स्थानांतरण (अनु. 7+9+10+14)		294,228,142.39	252,356,110.75
एमएचआरडी से मांगा गया घाटा		**73,050,476.25**	**102,250,016.38**

महत्वपूर्ण लेखांकन सुविधाएं – अनुसूची – 15
लेखांकन के भाग स्वरूप टिप्पणियां – अनुसूची – 16
प्राप्ति और भुगतान खाता – अनुसूची – 17

हमारी समान तिथि की संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबद्ध

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

स्थान : रांची
दिनाँक : 26.07.2017

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूचि – 1 पूंजी अनुदान

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
पूंजी निधि का प्रारंभिक शेष		322,087,500.00	284,587,500.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त		130,000,000.00	37,500,000.00
कुल		452,087,500.00	322,087,500.00
घटाएं : अनुसूचि 4 के अनुसार संचित मूल्यह्रास		50,163,370.53	41,907,045.53
वर्ष के अंत में शेष		401,924,129.47	280,180,454.47
स्थायी परिसर के लिए निधि		43,000,000.00	43,000,000.00
कुल		**444,924,129.47**	**323,180,454.47**

अनुसूचि – 2 कॉर्पस निधि

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
कॉर्पस निधि का प्रारंभिक शेष		876,192,731.11	636,332,142.96
घटाएं: पिछले वर्ष की आय के रुप में ली गई राशि		-	12,495,522.60
		876,192,731.11	623,836,620.36
जोड़ें : आय और व्यय खाते से हस्तांतरण		294,228,142.39	252,356,110.75
कुल		**1,170,420,873.50**	**876,192,731.11**

अनुसूचि – 3 मौजूदा देनदारियां और प्रावधान

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
मौजूदा देनदारियां			
1. सांविधिक देय राशि			
(क) टीडीएस	200,427.00		3,081,994.00
(ख) सेवा कर	-	200,427.00	1,701,138.00
2. अन्य मौजूदा देनदारियां			
(क) व्यय एवं अन्य के लिए देय बीजक	14,133,705.52		28,162,027.05
(ख) जमा, ईएमडी आदि	20,000.00		420,000.00
(ग) पूर्वछात्र निधि	1,522,070.00		1,522,070.00
(घ) अवधान राशि जमा	6,898,680.00		4,360,680.00
(ङ) ळष्।छ	15,203.96		363,822.53
(च) भोजनशाला जमा	170,000.00	22,759,659.48	170,000.00
3 दिन **समूह समझ** प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की नीति	-		18,000.00
ग्रामीण पेयजल आपूर्ति आकलन – विश्व बैंक			1,289,426.00
जन–जातीय उपयोजना का आकलन		7,644,738.00	7,644,738.00
व्यापार अभिविन्यास कार्यक्रम का विकास			4,000.00
एमडीपी आयः व्यावसायी के लिए परियोजना प्रबंधन		154,396.00	154,396.00
परियोजना वित्त और ऋण समूहन			8,427.00
झारखंड में रीडरशिप सर्वेक्षण			108,100.00
मुस्कान आकर्षण		625,000.00	1,136,695.00
रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम			2,250.00
एसडब्ल्यूएसएम – ग्रामीण जल एवं स्वच्छता का प्रभाव अध्ययन			566,873.00
सीसीएल की परियोजना से प्रभावित लोग		1,100,000.00	1,100,000.00
4 दिन निर्माताओं के लिए वित्त			6,000.00
2 दिन `जंतंजंहपब प्रबंधन		13,500.00	121,834.00
2 दिन प्रतिगमन मॉडलिंग		-	130,050.00
सारंडा परियोजना व्यय			-22,193.00
2 दिन `जंतंजंहपब प्रबंधन म्व्ठ।च्		-	82,280.00
प्रबंधकिय प्रभावशीलता बढ़ाने			1,206,754.00
एसडब्ल्यूएसएम – प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की नीति	-		1,052,895.00
प्राप्त अग्रिम शुल्क – पीजीईएक्सपी		5,000.00	5,000.00
5 दिन आवासी एमडीपी		3,800.00	

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरूप अनुसूची – 4

विवरण	दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास ब्लॉक					शुद्ध ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान बढोत्तरी: रु.2000 से कम	वर्ष के दौरान बढोत्तरी: रु.2000 से अधिक	वर्ष के दौरान विक्रय/समायोजन	वर्ष के अंत में कुल लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष का कुल योग	वर्ष के अंत में कुल योग	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
1. भूमि	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. बिल्डिंग	2.00%	24,444,614.00	0.00	0.00	0.00	2,44,44,614.00	19,17,528.00	4,88,892.00	0.00	4,88,892.00	24,06,420.00	22,038,194.00	22,527,086.00
3. कम्प्यूटर एव सहायक उपकरण	20.00 %	14,461,588.82	0.00	28,51,371.00	0.00	17,312,959.82	12,446,435.82	20,45,912.00	0.00	20,45,912.00	14,492,347.82	28,20,612.00	20,15,153.00
4. पुस्तकालय की किताबें	10.00 %	22,17,314.00	1,374.00	2,69,314.00	0.00	24,88,002.00	8,77,816.00	2,49,864.00	0.00	2,49,864.00	11,27,680.00	13,60,322.00	13,39,498.00
5. फर्नीचर और फिटिंग	7.50%	49,861,255.82	0.00	7,83,464.00	0.00	50,644,719.82	12,707,008.00	37,98,356.00	0.00	37,98,356.00	16,505,364.00	34,139,355.82	37,154,247.82
6. वाहन	10.00 %	6,75,287.78	0.00	0.00	0.00	6,75,287.78	3,37,829.00	67,529.00	0.00	67,529.00	4,05,358.00	2,69,929.78	3,37,458.78
7 ऑडियो विजुअल उपकरण	7.50%	6,04,936.00	0.00	1,42,050.00	14,677.00	7,32,309.00	1,93,389.00	56,025.00	0.00	56,025.00	2,49,414.00	4,82,895.00	4,11,547.00
8. कार्यालय उपकरण	7.50%	27,54,641.71	0.00	62,187.00	0.00	28,16,828.71	8,48,190.71	2,11,190.00	0.00	2,11,190.00	10,59,380.71	17,57,448.00	19,06,451.00
9. विद्युत अधिष्ठापन और उपकरण	5.00%	10,975,778.00	0.00	4,95,192.00	1,72,259.00	11,298,711.00	2,358,166.00	5,73,549.00	0.00	5,73,549.00	29,31,715.00	83,66,996.00	86,17,612.00
10. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला के उपकरण	8.00%	1,48,926.00	0.00	0.00	0.00	1,48,926.00	57,904.00	11,915.00	0.00	11,915.00	69,819.00	79,107.00	91,022.00
कुल ;।ब		**106,144,342.13**	**1,374.00**	**46,03,578.00**	**1,86,936.00**	**110,562,358.13**	**3,17,44,266.53**	**7,503,232.00**	**0.00**	**7,503,232.00**	**39,247,498.53**	**71,314,859.60**	**74,400,075.60**
11. अमूर्त संपत्ति	40.00 %	11,054,264.00	0.00	3,96,932.00	0.00	11,451,196.00	10,162,779.00	7,53,093.00	0.00	7,53,093.00	10,915,872.00	5,35,324.00	8,91,485.00
कुल ,।ब		**11,054,264.00**	**0.00**	**3,96,932.00**	**0.00**	**11,451,196.00**	**10,162,779.00**	**7,53,093.00**	**0.00**	**7,53,093.00**	**10,915,872.00**	**5,35,324.00**	**8,91,485.00**
कुल ;।बद्ध		**117,198,606.13**	**1,374.00**	**50,00,510.00**	**1,86,936.00**	**122,013,554.13**	**41,907,045.53**	**82,56,325.00**	**0.00**	**82,56,325.00**	**50,163,370.53**	**71,850,183.60**	**75,291,560.00**
12. प्रगतित्त पूंजी कार्य													
परिसर चाहरदीवारी ;ब्द		16,125,165.00	0.00	1,89,63,637.00	0.00	35,088,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088,802.00	16,125,165.00
कुल ;।बब्द		**133,323,771.13**	**1,374.00**	**23,964,147.00**	**1,86,936.00**	**157,102,356.13**	**41,907,045.53**	**82,56,325.00**	**0.00**	**82,56,325.00**	**50,163,370.53**	**106,938,985.60**	**91,416,725.60**

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

1 दिवसीय जेएससीबी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण		1,000.00	
2 दिन आईसीपी सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम		34,783.00	
3 दिन डीवीसी के लिए गतिशील नेतृत्व		64,754.00	
3 दिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी		12,000.00	
4 दिन सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम पर आईसीपी		140,760.00	
आईओसीआई के डीलर के लिए प्रशिक्षण सत्र		8,696.00	
कुल		**32,768,513.48**	**54,397,256.58**

अनुसूचि – 5 निधि का निवेश

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमा:			
एंकसीस बैंक के साथ	-	159,747,797.00	
आईसीआईसीआई बैंक के साथ		-	
एचडीएफसी बैंक के साथ		293,791,531.90	110,000,000.00
एचडीएफसी बैंक के साथ		563,513,066.00	525,897,465.00
कुल		**1,017,052,394.90**	**635,897,465.00**

अनुसूचि – 6 मौजूदा संपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
क. मौजूदा परिसंपत्तियां			
1. हाथ में नकदी		29,914.00	36,564.00
2. **बैंक बैलेंस**			
भारतीय स्टेट बैंक – चालू खाता		1,933,022.00	10,621,270.00
आईसीआईसीआई बैंक – बचत खाता		21,776,406.21	57,522,035.46
आईसीआईसीआई बैंक – एडमिशन खाता		897,937.67	1,425,136.67
यस बैंक बचत खाता		104,450,706.84	100,489,726.42
एचडीएफसी बचत खाता		32,426,318.87	30,143,507.02
भारतीय स्टट बैंक – एनपीएस खाता		18,156.62	93,969.00
3. फुटकर देनदार		7,430,811.00	10,079,916.00
4. माल		282,209.00	247,687.00
5. हाथ में डाक टिकट		68.00	68.00
कुल (क)		**169,245,550.21**	**210,659,879.57**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां			
1. ऋण और अग्रिम			
(क) कर्मचारी		238,300.00	188,653.00
(ख) अन्य		23,740,584.00	486,408.00
2. प्रीपेड व्यय			
(क) बीमा			227,912.00
(ख) अन्य व्यय एएमसी सहित		9,377,735.41	10,521,937.01
(ग) अन्य (ब्लम्डे)	-	-	-
3. सुरक्षा जमा		561,635.00	521,635.00
4. उपार्जित आय			
निवेश पर अर्जित ब्याज		14,476,306.98	15,060,569.27
5. अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) एमएचआरडी–पूंजी से प्राप्य		295,480,150.19	281,679,673.94
(ख) एमएचआरडी–राजस्व से प्राप्य		1,152,172.00	-
6. प्राप्य टीडीएस		8,672,000.16	7,109,583.77
7. सेवा कर प्राप्ति		1,177,702.00	-
कुल (ख)		**354,876,585.74**	**315,796,371.99**
कुल (क+ख)		**524,122,135.95**	**526,456,251.56**

Shailendra Singh

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

अनुसूचि – 7 शुल्क और लंबी अवधि के कार्यक्रम से अन्य आय

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
शुल्क / सदस्यता			
1. ट्यूशन और अन्य शुल्क		205,491,100.00	171,890,000.00
2. जब्त स्वीकृति शुल्क		188,261.00	598,150.00
3. अन्य प्राप्तियां		125,750.13	1,479,886.00
4. मैस शुल्क		15,736,810.00	14,715,482.82
कुल		**221,541,921.13**	**188,683,518.82**

अनुसूचि – 8 सहायता अनुदान/सब्सिडी

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
1. सरकारी अनुदान–एमएचआरडी पिछले साल से आगे लाया गया		140,000,000.00	80,120,000.00
आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित		**140,000,000.00**	**80,120,000.00**

अनुसूचि – 9 ब्याज से आय

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
1. बचत खातों पर			
अनुसूचित बैंको के साथ		11,933,819.61	12,511,945.53
2. सावधि जमा पर ब्याज		61,753,129.81	51,990,210.40
कुल		**73,686,949.42**	**64,502,155.93**

अनुसूचि – 10 गैर–अनुदान आय

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
1. शुल्क एवं अन्य आय			
(क) च्ळम्च शुल्क		17,968,309.00	18,478,696.00
(ख) कंसल्टेंसी और एमडीपी आय		2,698,063.00	926,887.00
(ग) विविध प्राप्तियां		2,586,677.25	401,334.00
(घ) च्ळम्डच शुल्क			774,297.00
(ङ) भाषा कोर्स प्राप्तियां			202,000.00
कुल		**23,253,049.25**	**20,783,214.00**

अनुसूचि – 11 स्थापना व्यय

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
स्थापना व्यय			
1 वेतन एवं अन्य भत्ते		48,451,755.00	40,552,823.00
2 प्रभारी निदेशक को पारितोषिक		1,159,581.00	1,236,000.00
कुल		**49,611,336.00**	**41,788,823.00**

Shailendra Singh

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

अनुसूचि – 12 शैक्षणिक व्यय

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
शैक्षणिक व्यय			
1. विजिटिंग शिक्षकों को मानदेय		19,641,195.00	18,252,297.00
2. विजिटिंग शिक्षकों को बोर्डिंग और यात्रा व्यय		4,205,044.00	3,294,598.00
3. पाठ्यक्रम सामग्री व्यय		8,259,606.91	7,023,371.15
4. जर्नल व डाटाबेस व्यय		16,804,646.30	17,208,348.95
5. सफ्टवेयर नवीकरण व्यय		4,662,157.00	4,078,419.00
6. छात्र गतिविधियां		2,400,780.00	2,068,248.00
7. बाहरी कार्यक्रम व्यय		651,218.00	979,859.00
8. एफपीएम व्यय		10,196,803.00	8,349,942.50
9. दीक्षांत समारोह व्यय		444,066.00	2,547,454.00
10 छात्र कल्याण व्यय		672,414.00	733,230.00
11. शिक्षकों की भर्ती और विकास खर्च		5,945,143.33	866,503.00
12. एडमिषन व्यय		6,108,506.00	4,972,172.00
13. प्लेसमेंट व्यय		3,147,584.00	2,852,635.00
14. राश्ट्रीय और अंतर्राश्ट्रीय सम्मेलन		141,315.65	1,381,711.00
15. बिजनेस एनालिटिक्स / एचआर कन्कलेव / एनएचआरडीएन / एआईएमए		1,555.00	480.00
16. **लाइब्रेरी प्रशिक्षु वजीफा**		81,677.00	76,800.00
कुल		**83,363,711.19**	**74,686,068.60**

अनुसूचि – 13 प्रशासनिक व्यय:

विवरण		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
प्रशासनिक व्यय:			
1. प्रत्यायन		231,952.00	1,694,066.18
2. विज्ञापन		1,326,530.00	1,459,519.00
3. उद्घाटन व्यय		211,702.00	269,905.00
4. उपकरणों का किराया		6,180,594.00	4,367,928.00
5. टेलीफोन और मोबाइल प्रभार		222,680.00	171,325.00
6. डाक व तार		35,902.00	22,041.00
7. इंटरनेट प्रभार		3,172,149.00	3,207,147.00
8. आईटी सहयोग		-	3,866,429.00
9. गृहकार्य व्यय		4,424,431.00	4,401,343.00
10 समाचार पत्र और पत्रिकाए		28,168.00	25,134.00
11. कर्मचारियों की नियुक्ति		11,590,707.00	8,870,867.50
12. बोर्ड बैठक व्यय		918,257.00	656,791.00
13. कंसल्टेंसी और मीटिंग व्यय		340,062.50	414,640.00
14. लेखा परीक्षक और कंसल्टेंट्स		239,641.00	218,829.00
15. विद्युत व्यय		3,766,873.00	3,442,413.00
16. किराया – निदेशक का आवास		1,308,000.00	500,800.00
17. किराया – आवासीय फ्लैट		13,364,320.00	13,040,780.00
19. किराया प्रभार – जेनरेटर		11,782,890.00	11,019,997.00
20. मरम्मत एवं रखरखाव		4,658,945.00	3,956,245.50
21. यात्रा और वाहन व्यय		757,685.00	968,821.00
22. किराया प्रभार – बस / कार		9,679,381.00	7,530,746.00
23. सेमिनार और सम्मेलन		240,559.00	170,804.00
24. बीमा		711,967.00	411,729.00
25. प्रिंटिंग व स्टेशनरी		831,543.00	972,871.00
26. बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय		261,472.00	454,192.00

27. गेस्ट हाउस व्यय		601,898.00	1,355,255.00
27. Prior Period Expense		1,167,937.00	300,000.00
28. कर्मचारी कल्याण खर्च		377,428.00	244,618.00
29. कार्यालय का खर्चा		1,058,696.00	354,622.00
30. महत्वपूर्ण दिवस समारोह		55,813.00	115,833.00
31 विविध व्यय		407,810.56	33,423.17
32 होलर्डिंग कर सूचना भवन			3,490,699.00
कुल		**79,955,993.06**	**78,009,813.35**

अनुसूचि – 14 गैर–अनुदान व्यय भुगतान

विवरण		31.03.2017 के	31.03.2016 के
गैर–अनुदान व्यय भुगतान			
1. च्लम्म्च व्यय		6,795,846.41	6,273,076.00
2. च्लम्ड्च व्यय		-	931.00
3. एमडीपी व्यय		-	5,700.00
5. मैस प्रभार		15,237,610.00	12,545,315.00
6. बोर्ड बैठक शुल्क		140,000.00	132,810.00
7. सेवा कर भुगतान		-	-
8. गैर–अनुदान वेतन		1,992,984.00	2,411,060.00
9. विविध व्यय		87,337.00	243,886.00
		-	
कुल		**24,253,777.41**	**21,612,778.00**

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची
अनुसूचि – 15:

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरुप एवं अनुबद्ध महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधारः
वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन के उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व मान्यताः
2.1 छात्रों से फीस (ट्युशन फीस को छोड़कर) और बचत बैंक खातों पर ब्याज नकदी आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
2.2 निवेश पर ब्याज उपार्जन के आधार पर लिया गया है।

3. अचल संपत्तिः
अचल संपत्तियों की अधिग्रहण लागत को लिया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर, और अधिग्रहण, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।

4.मूल्यह्रास और परिशोधन

क. मूल्यह्रास
4.1 मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान एमएचआरडी के पत्र क्र.29.4/2012/ब्ब्य दिनांकित 17/04/2015 के अनुसार केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि के अनुसार किया गया है।

4.2 मूर्त अचल संपत्तियों की बुक वैल्यू का संबंधित निधि के साथ मिलान के लिए मूर्त अचल संपत्तियों पर लगाया गया मूल्यह्रास संबंधित निधि से आय एवं व्यय खाता (रेखा से नीचे) में स्थानांतरित किया गया है।

4.3 वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया गया है।

4.4 जहाँ मूर्त अचल संपत्तियों का पूरी तरह मूल्यह्रास हो गया है, उन्हें तुलन–पत्र में रू.1 के अवशिष्ट मूल्य पर रखा गया है और आगे मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

4.5 मूर्त अचल संपत्तियां, जिनमें से प्रत्येक का अलग–अलग मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) को अल्प मूल्य की संपत्ति के रूप में माना गया है। ऐसी संपत्तियों पर उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है ।
4.6 किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को, हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण, हार्डवेयर की कीमत के साथ ही पूंजीकृत किया गया है। तथापि, सॉफ्टवेयर (ईआरपी सहित) के अधिग्रहण पर किया गया व्यय, जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, को अमूर्त आस्तियां माना गया है।

ख. परिशोधन
4.7 पेटेंट और कॉपीराइट, ई पत्रिकाएं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उन्हें एमएचआरडी द्वारा निर्दिष्ट दरों पर परिशोधित किया गया है। 2 वर्ष से कम अवधि के लिए सॉफ्टवेयर नवीकरण शुल्क राजस्व से लिया गया है।

5. निवेशः
5.1 निवेश मोटे तौर पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही किया गया है।
5.2 लंबी अवधि के निवेश को उनकी लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। तथापि, तुलन–पत्र की तिथि पर उनके मूल्य में हुई किसी भी स्थायी कमी का प्रावधान किया गया है।

6. वस्तुसूचिः
वस्तुसूचि में भंडार और स्टेशनरी भी शामिल है, जिसे लागत मूल्य पर लिया गया है। इस तरह की सामग्री को अपने स्थान तक लाने के लिए व्यापार में सामान्य रुप से किए गए व्यय, जहां लागू हो, और उचित खर्च लागत में शामिल हैं।

7. सरकारी अनुदानः
पूंजी और राजस्व अनुदान को एम.एच.आर.डी. के निर्देशानुसार उनके संबंधित मदों में विभाजित किया गया है।

8. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभः
8.1 परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ, जिसमें नई पेंशन योजना और भविष्य निधि शामिल है, को मान्य किया गया है और वास्तविक दायित्व के आधार पर राजस्व से लिया गया है।
8.2 नियमित सेवा के 5 साल पूरा होने के बाद ही किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय होती है। चूंकि किसी भी कर्मचारी ने 5 साल का समय पूरा नहीं किया है, इस हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेनः

विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय और किए गए खर्च लेनदेन की तारीख की विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं और भिन्नता (अगर कोई है) को आय एवं व्यय खाता में लिया गया है।

10. कैपिटल निधि और कॉर्पस निधिः

कैपिटल निधि अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित है। यह निधि मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से बनाई गई है।

कॉर्पस निधि शासी मंडल के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा उत्पन्न अधिशेष (केवल आंतरिक संसाधनों की आय से) से बनाई गई है।

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

स्थान : रांची
दिनॉंक : 26.07.2017

भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची
अनुसूची – 16:
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरुप एवं अनुबद्ध लेखांकन टिप्पणियां:–

1. आकस्मिक देयताएं:
i) प्रारंभिक तौर पर राजभवन में आयोजित की गई बैठक के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा सूचना भवन के भवन में स्थान प्रदान किया गया है जिसका किराया और अन्य नियम व शर्त नहीं बताए गए हैं। इस तरह की जानकारी के अभाव में इस तरह के मामले का वित्तीय निहितार्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। **हालांकि संबंधित विभाग से प्राप्त दस्तावेज़ के अनुसार नगरपालिका कर का भुगतान किया जाता है।**

पूंजीगत व्यय और मूल्यह्रास :
i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक – 12 का प्रस्ताव है कि पूरी तरह से सब्सिडी वाली आस्तियों पर कोई भी मूल्यह्रास नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उचित रिकॉर्ड रखने के लिए, अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया गया है और पूंजी निधि से घटाया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान एमएचआरडी के पत्र क्र.29.4/2012/IFD दिनांकित 17/04/2015 के अनुसार । **बेकार संपतियां के लिए नई परिसंपत्तियां ख़रीदी-बदली के अधीन निकाली गईं. और निपटाए गए परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई अतिरिक्त या घाटा आय और व्यय खाते के विरुद्ध समायोजित किया गया है।**
ii) मूर्त अचल संपत्तियां, जिनमें से प्रत्येक का अलग–अलग मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है, (लाइब्रेरी की किताबों को छोड़कर), को अल्प मूल्य की संपत्ति माना गया है (लेखांकन नीति 4.5 के अनुसार)। ऐसी संपत्ति के संबंध में उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। सभी मामलों में इसी नीति का पालन किया गया है स्टील ट्रंक के मामले को छोड़कर जो फर्नीचर और फिक्चर मद के तहत पूंजीकृत है।

2. संचालन घाटा / अधिशेष:
एमएचआरडी से प्राप्त राजस्व अनुदान से राजस्व व्यय को घटाने के बाद एमएचआरडी का दावा पूरा कर लिया गया है।

3. कॉर्पस निधि:
कॉर्पस निधि का निर्माण शासी मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। रू.29,42,28,142.39 की राशि कॉर्पस निधि के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। पूंजी और राजस्व का विभाजन आंतरिक रिकॉर्ड के लिए है। हालांकि, दोनों कॉर्पस और पूंजी निधि भारत की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

4. **निधि का उपयोग** PWD के लिए SCSP **और** TSP **के दिशा निर्देशों के आधार पर** : एमएचआरडी **द्वारा जारी पत्र लिखित पत्र के माध्यम से जारी किए गए मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन।** F.No.2118 / 2015- TS.V (A) **और पत्र संख्या सं।** F.No.2118 / 2015- TS.V (B) **दिनांक 28 मार्च 2016 को संस्थान के प्रबंधन द्वारा ध्यान रखा गया है।**

5. परिसर के लिए पूंजी अनुदान :
स्थायी परिसर के लिए रु.4,30,00,000/- का अनुदान वित्तीय वर्ष 2011 - 12 में आवंटित किया गया है, जिसमें से रू.1,58,16,984.00 की राशि नगरी गांव में चाहरदीवारी के निर्माण के लिए **और चेरी गांव में भूमि की सीमा के लिए** खर्च की गई थी। निर्माण बाधित हो गया था और व्यय की गई राशि की लेखा–समाप्ति का मामला आगे की कार्रवाई के लिए शासी मंडल के पास ले जाया जाएगा। **2016-17 के दौरान रु 1,92,71,818.00 HEC रांची झारखंड में स्थायी परिसर के लिए नए आवंटित क्षेत्र पर सीमा कार्य के लिए खर्च किए गए हैं। सीमा की दीवार के लिए कुल रु 3,50,88,802.00 खर्च किए गए हैं।**

6. आईआईएम रांची कैम्पस के लिए आवंटित नई भूमि का प्रकटीकरण :
झारखंड सरकार ने आईआईएम रांची के परिसर के निर्माण के लिए HEC क्षेत्र गांव में भूमि आवंटित की है। **परिसर की सीमा की दीवार को ठेका के आधार पर** CPWD को निर्माण के लिए दी गई है।

7. आईआईएम रांची का अधिकार रहित भवन :
वर्तमान में संस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना भवन की इमारत में चल रहा है। जो आईआईएम रांची से संबंधित नहीं है। इसलिए सिर्फ अवस्थापना सुविधाओं में होने वाली वृद्धि को ही पूंजीकृत किया जा रहा है।

8. मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम :
प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम को सामान्य व्यापार क्रम में प्राप्य मूल्य पर लिया गया है जो कम से कम तुलन–पत्र में दी गई कुल राशि के बराबर है।

9. निवेश :
निवेश कॉर्पस निधि, छात्रों से जमा, परामर्श परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम निधि, और एमएचआरडी से प्राप्त पूंजी अनुदान के शेष से समानुपात में किया जा रहा है।

10. कराधान : संस्थान, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) (iiiab) के तहत आयकर से मुक्त है, इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा संस्थान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 21A का तहत पंजीकृत है।

11. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ :

i) संस्थान कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए एनएसडीएल द्वारा संचालित नई पेंशन योजना में शामिल है।

ii) सभी अनुबंधों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पूर्वव्यापी रुप से जुलाई, 2012 से भविष्य निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियंत्रित है। पीएफआरडीए को भुगतान की वास्तविक राशि वास्तविक दायित्व के आधार पर राजस्व से ली जाती है।

12. परामर्श परियोजनाएं जो वित्तीय वर्ष के अंत में जारी हैं, उन पर साल के दौरान किए गए व्यय को व्यय के रुप में लेखांकित किया गया है और उतनी ही राशि परामर्श परियोजनाओं से होने वाली आय के रूप में लेखांकित की गई है ताकि आय और व्यय खाते का आंकड़े सही बने रहें।

13. जहां आवश्यक हुआ, पिछले साल के आंकड़ों को फिर से एकजुट और वर्गीकृत कर दिया गया है।

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

स्थान : रांची
दिनाँक : 26. 07.2017

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

अनुसूचि 17

31 मार्च 2017 के अनुसार प्राप्ति और मुगतान खाता

प्राप्ति	राशि	राशि	मुगतान	राशि	राशि
प्रारंभिक शेष		200332208.57	**वर्तमान देनदारियां और प्रावधान**		221172058.30
बैंक खाता	200295644.57		**अचल संपत्तियां**		15179
नगदी	36564.00		**निवेश**		590000000
पूंजी खाता		130000000.00	एचडीएफसी बैंक के साथ	150000000	
अनुदान पूंजी	130000000.00		यस बैंक के साथ	180000000	
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान		22876095.00	यस बैंक के साथ	110000000	
			एकसीस बैंक के साथ	150000000	
निवेश		269921562.81	**चल संपत्तियां**		45111162.9
एचडीएफसी बैंक के साथ	151780738.00		कर्मचारी से प्राप्य	15000	
यस बैंक के साथ	118140824.81		ऋण, और अग्रिम	44854750	
चल संपत्तियां		65007598.75	देनदारियां	18800	
कर्मचारी से प्राप्य	484116.00		ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	151215	
एमएचआरडी से प्राप्य	59250000.00		देरी थ्यदम	51397.9	
ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	811146.00		फुटकर देनदार	20000	
फुटकर देनदार	4462336.75		**लंबी अवधि के कार्यक्रम से शुल्क प्राप्ति**		1725820
सहायता अनुदान प्राप्ति		140000000.00	एडमिशन शुल्क	100750	
राजस्व अनुदान	140000000.00		लंबी अवधि पाठ्यक्रम शुल्क	1625070	
लंबी अवधि के कार्यक्रम से शुल्क प्राप्ति		204283100.13	**अनुदान व्यय**		62734500.06
एडमिशन शुल्क	3942350.00		1 स्थापना व्यय	44654977	
लंबी अवधि पाठ्यक्रम शुल्क	200340750.13		2 शैक्षणिक सामग्री व्यय	15366273.25	
अनुदान व्यय		294065.35	3 अन्य प्रशासनिक व्यय	2713249.81	
1 स्थापना व्यय	150663.00		**गैर–अनुदान व्यय**		1920658
2 शैक्षणिक सामग्री व्यय	61757.35		**गैर–अनुदान आय**		5344000
3 अन्य प्रशासनिक व्यय	81645.00		कुतूहल	6000	
ब्याज प्राप्ति		11933819.61	स्वीकृति शुल्क(16.18)	4950000	
बचत बैंक खाता	11933819.61		विविध प्राप्ति	388000	
गैर–अनुदान व्यय		11500.00	**अंतिम शेष**		161530375.2
बोर्ड बैठक व्यय	10000.00		बैंक शेष	161500461.2	
शैक्षणिक व्यय	1500.00		नगदी	29914	
गैर–अनुदान आय		44893803.25			
ऑडिट कोर्स फीस	10000.00				
देर से ठीक	15000.00				
कुतूहल	558000.00				
स्वीकृति शुल्क(16.18)	23898000.00				
विविध प्राप्ति	2444494.25				
ळम्च शुल्क 14.16 प्राप्ति	182608.00				
ळम्च शुल्क 14.16 प्राप्ति	12130473.00				
ळम्च शुल्क प्राप्ति	90000.00				
सेवा कर प्राप्ति	5565228.00				
कुल		1089553753.47	**कुल**		1089553753.47

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

वित्त वर्ष 2016 . 17 के लिए अनुदान की स्थिति

विवरण		राजस्व अनुदान	पूंजी अनुदान	कुल
01.04.2016 के अनुसार	क	-427.52	2,347.61	1,920.09
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				-
दिनाँक: 24.05.2016		200.00	800.00	1,000.00
दिनाँक: 20.10.2016		500.00	500.00	1,000.00
दिनाँक: 20.12.2016		300.00	-	300.00
दिनाँक: 20.02.2017		400.00	-	400.00
वि.व. 2067–17 के दौरान प्राप्त कुल अनुदान	ख	**1,400.00**	**1,300.00**	**2,700.00**
कुल	क+ख	**972.48**	**3,647.61**	**4,620.09**

Shailendra Singh

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 03 2017 के अनुसार सावधि जमा और उस पर ब्याज स्वरूप उपार्जित आय का विवरण

बैंक	एफडीआर न.	राशि 01.04.2016	राशि 16-17	खुलने की तिथि	ब्याज 16-17	टीडीएस	परिपक्वता	राशि 31.03.2017
एचडीएफसी बैंक	50300070152038	21,81,34,902.00			16877924.00	0.00		235012826.00
एचडीएफसी बैंक	50300076635198	3,27,19,900.00			2531429.00	0.00		35251329.00
एचडीएफसी बैंक	50300076635070	2,18,13,253.00			1687632.00	0.00		23500885.00
एचडीएफसी बैंक	50300027908582	8,32,29,410.00			6420465.00	0.00		89649875.00
एचडीएफसी बैंक	50300133183681	15,00,00,000.00			1780738.00	0.00	151780738.00	
एचडीएफसी बैंक	50300133509580	2,00,00,000.00			1543544.00	0.00		21543544.00
एचडीएफसी बैंक	50300148036727		15,00,00,000.00	08.06.16	8554607.00	0.00		158554607.00
यस बैंक	008040400019941	11,00,00,000.00			8396180.58	839618.06	117556563.00	
यस बैंक	008040400031615		18,00,00,000.00	07.12.16	3695662.55	369566.26		183326096.29
यस बैंक	008040400034841		11,00,00,000.00	06.03.17	517150.68	51715.07		110465435.61
एक्सिस बैंक	916040029271993		15,00,00,000.00	23.05.16	9747797	0		159747797.00
	कुल	**63,58,97,465.00**	**590000000.00**		**61753129.81**	**1260899.39**	**269337301**	**1017052395**

निदेशक
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची